अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

प. 27 (255) ग्राविवि / अनु–5 / जीकेएन / 2015–16 / विविध — जयपुर दिनांक 30 सितम्बर,2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ, चूरू, दोसा, धोलपुर, डूगरपुर, गंगानगर,
जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनु, जोधपुर, झालावाड, करौली,नागौर,
पाली, राजसमन्द, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर राजस्थान।

विषय :– नवसृजित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा, एमएलए लेड, मेवात, मगरा व डांग योजनाओ से योजनाओ से कनवर्जेन्स कर निर्माण करवाने बाबत।

संदर्भ :– शासन सचिव, पंचायती राज का पत्र कमांक एफ 4 (59) पराविं / पीसी / ग्रा.प.भ.नि. / 2015 / 1887 जयपुर दिनांक 22.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मे नवसृजित ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा करवाया जा रहा हैं। ग्राम पंचायत / पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा मॉडल मानचित्र तैयार कर आपको भिजवाये जा चुके है जिसके अनुसार अनुमानित लागत कमश रूपये 50 लाख व 2 करोड है।

यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा कियान्वयन करायी जा रही विभिन्न विकास योजनाऐ यथा महात्मा गांधी नरेगा, एमएलए लेड, मेवात, मगरा एवं डांग क्षेत्र विकास की योजनाओ में विकास हेतु समुचित राशि उपलब्ध है।

इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि:–

1. नवसृजित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति वाले क्षेत्रो में महात्मा गांधी नरेगा, एमएलए लेड, मेवात, मगरा व डांग योजनाओ में उपलब्ध राशि का अधिकाधिक उपयोग कर ग्राम पंचायत / पंचायत समिति भवन निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करावे।

2. ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली निधियो एंव विभिन्न विभागीय योजनाओ से ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किया जावे। विभागीय योनजाओ में 01.04.2015 को काफी राशि अवशेष है एवं वर्ष 2015–16 मे भी राशि आवंटित की जा चुकी है। एक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष से अधिक का समय लगने की सम्भावना है। अतः वर्ष 2016–17 के दौरान भी प्राप्त होने वाली निधियो से इस भवन निर्माण हेतु राशि उपयोग ली जा सकेगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना से भी ग्रा.प. कार्यालय भवन निर्माण कार्य भी अनुमत हैं।

3. माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एव परावि की और से माननीय विधायक महोदयो को विभागीय अ.शा. पत्राकं 1711 दिनांक 27.08.2015 द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के भवन निर्माण हेतु विधायक कोष से वर्ष 2015–16 एंव 2016–17 में 30–30 लाख रूपये (कुल 60 लाख रूपये) की अभिशंषा करने को अनुरोध किया गया है। अतः सम्बंधित विधायक महोदय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उक्त भवनो के निर्माण हेतु विधायक कोष से राशि स्वीकृति की अभिशंषा लेने के प्रयास किये जावे।

4. राशि कम उपलब्ध होने पर मॉडल मानचित्र में से निर्माण कार्य एक सिरे से प्रारम्भ किया जावे एंव जैसे–जैसे योजनाओं में राशि उपलब्ध हो, भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

5. अतः नवसृजित ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए उक्त योजनाओं से कनवर्जेन्स कर आवश्यक स्वीकृतिया जारी कर 15 दिवस में अनिवार्य रूप से सूचित किया जावे।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
6. जिला कलक्टर अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ, चूरू, दोसा, धोलपुर, डूगरपुर, गंगानगर,जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनु, जोधपुर, झालावाड, करौली,नागौर, पाली, राजसमन्द, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक(एम&ई) ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. परियोजना निदेशक एंव पदेन उप सचिव (एसएपी) ग्रामीण विकास।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)